न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–93 / 2022

राजरानी पत्नी सोनासिंह पुत्री मखन सिंह जाति रायसिख उम्र तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––– **प्रार्थीया**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्री गंगानगर(राज.)

––––**अप्रार्थी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सहपठित धारा–136 एल.आर.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक–01 / 02 / 2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता मक्खन सिंह ने नाम से चक 28 एपीडी 'ए' तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–319 / 412 मुरब्बा नं.–30 के किला नम्बर 1ता25 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया के पिता के देहान्त के उपरांत उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीया व उसकी बहनों व माता को विरास्तन प्राप्त हुई है व वर्तमान मे राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया व उसकी बहनों व माता के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जमाबंदी की प्रतियॉ संलग्न है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया की बहनों ने विरासतन ईतकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करते समय प्रार्थीया का नाम वारिसों की फहरिस्त में प्रार्थीया का घरेलू नाम राजी बाई दर्ज करवा दिया तथा इसी अनुसार ईतकाल में प्रार्थीया का नाम राजी बाई दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही व वास्तविक नाम राजरानी है। जिसके संबंध में प्रार्थी के आधार कार्ड वोटर आई कार्ड व जनआधार कार्ड की फोटो प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का घरेलू नाम दर्ज हो गया है। जिसके कारण प्रार्थी का भारी परेशानियॉ का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया के घरेलू नाम राजी बाई के स्थान पर सही व वास्तविक नाम राजरानी दर्ज करवाना चाहती है। जिससे भविष्य मे प्रार्थीया को किसी परेशानी का सामना नही करना पडे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.16 16:10:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसील[illegible] अन[illegible] से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसील[illegible] के पत्थर नं. –319 / 412 मुरब्बा नं.–30 के किला नं.–1ता25 कुल 6.072 हैक्टर भूमि राजीबाई पु[illegible] मखन सिंह हिस्सा 1 / 4 जाति रायसिख साकिन 30 एपीडी [illegible]तेदार के नाम दर्ज रिक[illegible] है। नामान्तरण सं.–06 / 23.09.89 मे राजीबाई पुत्री मखनसिंह जाति रायसिख साकिन हाल 30 एपीडी दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत 27 ए दिनांक–04.01.1989 के वारिस प्रमाण पत्र के राजीबाई पुत्री मखनसिंह दर्ज है। प्रार्थीया राजरानी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह जनाधार कार्ड में नाम राजरानी पत्नी सोनासिंह है ओर

प्रार्थीया ने इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत 30 एपीडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी राजीबाई व राजरानी बाई दोनों एक ही महिला का नाम होना बताया है। तथा प्रार्थीया का नाम राजीबाई के स्थान पर राजी बाई उर्फ राजरानी पुत्री मखनसिंह पत्नी सोनासिंह किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट एवं बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादीया का नाम राजीबाई के स्थान पर राजीबाई उर्फ राजरानी पुत्री मखनसिंह पत्नी सोनासिंह वादी के शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर चक 28 एपीडी 'ए' तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–319/412 मुरब्बा नं.–30 के किला नम्बर 1ता25 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीया/प्रार्थीया का नाम राजीबाई के स्थान पर राजीबाई उर्फ राजरानी पुत्री मखनसिंह एतद्द्वारा दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.16 16:10:36 IST
Reason: SelfAttested